न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा, जिला–चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर०ए०एस०)

प्रकरण प्रार्थना पत्र– 06/2020

उनवान

1. तेजमल पिता श्री सोहनलाल जाति कुमावत आयु बालिग निवासी जावदा, तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
2. कौशल्या पिता श्री सोहनलाल जाति कुमावत आयु बालिग निवासी जावदा, तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
3. चांदी बाई पिता श्री सोहनलाल जाति कुमावत आयु बालिग निवासी जावदा, तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
4. लीला पिता श्री सोहनलाल जाति कुमावत आयु बालिग निवासी जावदा, तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
5. केसर बाई पिता सोहनलाल जाति कुमावत आयु बालिग निवासी जावदा, तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
6. केशुराम पिता श्री होक्मा जाति कुमावत आयु बालिग निवासी जावदा, तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
7. लाली बाई पिता श्री होक्मा जाति कुमावत आयु बालिग निवासी जावदा, तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

.............प्रार्थीगण

वनाम

1. श्री सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत जावदा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
2. भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा जिला–चित्तौडगढ ।

...........विपक्षीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित – अर्जुन सिंह चुण्डावत अभिभाषक प्रार्थी।
पेरोकार सरकार।

निर्णय — दिनांक 21.08.2024

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के सयुंक्त खातेकाश्त की कृषि आराजीयात जावदा प०ह० जावदा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ की जमावंदी सम्वत 2074–77 की खाता संख्या 35 खसरा संख्या 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 कुल किता 09 कुल रकवा 3.91है० लगानी 109.04 रूपये खाते में काशीराम, मोहनलाल, श्यामलाल, केसरीमल पिता होक्मा 4/5, कन्हैयालाल, चंदा बाई पिता रतीराम गीता बाई पत्नि रतीराम 1/5 कुमावत सा. देह खाते दर्ज रिकॉर्ड है, तथा नामान्तरण संख्या 489 नि. दिनांक 15.10.2018 विरासत से खाता तेजमल, कौशल्या, चांदी बाई, लीला, केसर बाई पिता मोहनलाल 3/10, केसरीमल पिता होक्मा 3/10, कन्हैयालाल, चंदा बाई पिता रतीराम, गीता बाई पत्नि रतीराम 3/10, लीला बाई पुत्री होक्मा 1/10 कुमावत सा. देह खाते के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। प्रार्थीगण के दादाजी व पिताजी स्व० श्री होक्मा जी के विरासत का नामान्तरण दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों की भूल व त्रृटिवश प्रार्थी संख्या 01 से 05 के पिता का नाम सोहनलाल की जगह मोहनलाल [illegible] संख्या 06 का नाम केशुलाल की जगह केसरीमल कर दिया है तथा प्रार्थी संख्या 07 [illegible] नाम [illegible]ली बाई की जगह लीला बाई दर्ज रिकार्ड कर दिया है, जबकि प्रार्थीगण संख्या 01 से [illegible] पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र भी सोहनलाल के नाम से बना हुआ है [illegible] में भी नाम सोहनलाल [illegible] है, इसलिए प्रार्थी संख्या 01 से 05 के पिता का नाम [illegible]लाल की जगह सोहनलाल [illegible] जाना किया जाना न्यायोचित है तथा प्रार्थी संख्या 06 के स्वयं का नाम अन्य सरकारी दस्तावेज में केशुराम है तथा जमाबंदी में राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूल व त्रृटिवश केसरीमल कर दिया हे, जिसे दुरूस्त कर केशुराम किया जाना भी न्यायोचित है तथा प्रार्थी संख्या 07 स्वयं का नाम लाली बाई है जबकि नामान्तरण संख्या 419 में उसका नाम लीला बाई कर दिया है, जबकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.09.06 17:39:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

उसके सभी सरकारी दस्तावेज में उसका नाम लाली बाई है, जिसे भी दुरूस्त कर लाली बाई किया जाना न्यायोचित है। अन्त में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी संख्या 01 से 05 के पिता का नाम मोहनलाल उर्फ सोहनलाल या सोहनलाल किये जाने एवं प्रार्थी संख्या 06 का नाम केशुराम उर्फ केसरीमल या केशुराम किये जाने का व प्रार्थी संख्या 07 का नाम लाली बाई उर्फ लीला बाई या लाली बाई किये जाने की इन्द्राज दुरूस्ती कर आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 22.11.2022 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जांच कराई गई। तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के ग्राम जावदा प0ह0 जावदा की आराजी संख्या 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 कुल किता 09 रकबा 3.91है0 भूमि कन्हैयालाल पुत्र रतिराम, चन्दाबाई पुत्री रतिराम, गीता बाई पत्नि रतिराम, केशुराम पुत्र होक्मा, लीला बाई पुत्री होक्मा, तेजमल पुत्र मोहनलाल, केशरबाई, कौशल्याबाई, चान्दी बाई, लीला पुत्री मोहनलाल कुमावत सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। वाद पत्र के अनुसार वादी संख्या 6 अपना नाम केसरीमल पिता होक्मा की जगह कैशुराम पिता होक्मा करवाना चाहता है जबकि वर्तमान जमाबंदी में उक्त नाम शुद्धि होकर केशुराम पिता होक्मा दर्ज रिकार्ड है। जिसकों शुद्धि किया जाना आवश्यक नहीं है। वाद पत्र अनुसार वादी संख्या 07 अपना नाम लीला बाई पुत्री होक्मा के स्थान पर लाली बाई पुत्री होक्मा करवाना चाहती है। सलंग्न दस्तावेज एवं गौतबिरान द्वारा बताये अनुसार लीला बाई एवं लाली बाई दोनों नाम की एक ही महिला होना पाया गया जिसको लाली बाई पुत्री होक्मा कुमावत के नाम से जाना जाता है। वादी संख्या 1 से 5 तेजमल, कौशल्या, चांदी बाई, लीला, केशरबाई पिता सोहनलाल राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का नाम मोहनलाल के बजाय सोहनलाल करवाना चाहते है, तो सलंग्न मृत्यु प्रमाण–पत्र अनुसार वादीगण के पिता का नाम सोहनलाल पिता होक्मा दर्ज रिकार्ड है। सलंग्न मृत्यु प्रमाण–पत्र अनुसार वादीगण के पिता का नाम मोहनलाल के बजाय सोहनलाल दर्ज है, एवं अन्य दस्तावेज में भी पिता का नाम सोहनलाल दर्ज है।

हमने प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार रावतभाटा मय प0ह0 जावदा रिपोर्ट तथा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों से प्रार्थी के कथनों की पुष्टि होती है। जिससे राजस्व रिकार्ड में अंकित प्रार्थी संख्या 01 से 05 के पिता का नाम मोहनलाल उर्फ सोहनलाल किये जाने एवं प्रार्थी संख्या 06 का नाम केशुराम उर्फ केसरीमल किये जाने का व प्रार्थी संख्या 07 का नाम लाली बाई उर्फ लीला बाई किया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–:आदेश:–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया ग्राम जावदा प0ह0 जावदा तहसील रावतभाटा में स्थित खाता संख्या 35 खसरा संख्या 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 कुल किता 09 कुल रकबा 3.91है0 भूमि में प्रार्थी संख्या 01 से 05 के पिता का नाम मोहनलाल उर्फ सोहनलाल किये जाने एवं प्रार्थी संख्या 06 का नाम केशुराम उर्फ केसरीमल किये जाने का व प्रार्थी संख्या 07 का नाम लाली बाई उर्फ लीला बाई किये जाने की इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने का आदेश दिया जाता हैं, तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2024 को सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार रावतभाटा को भेजी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.09.06 17:39:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

(महेश गंगोरिया) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Scanned with CamScanner